भारत सरकार खान मंत्रालय भारतीय खान ब्यूरो क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय कर्मयोगी भवन, सैक्टर-10 ए ,चतुर्थ तल, ब्लॉक-2, गांधीनगर, गुजरात-382 010



Government of India Ministry of Mines Indian Bureau of Mines

Office of the Regional Controller of Mines Karmyogi Bhawan, 4th Floor, Block-2, Sector 10-A, Gandhinagar (Gujarat)-382010

ईमेल:gandhinagar.ibm@gmail.com

Mine Code-38GUJ07055

Date-10/4/2018

मिसिल संख्या : GUJ/JAM/LSt-10

प्रेषित: Owner/Agent/Manager/Mining Engineer

M/s Gokaldas Jamnadas,

Post Lamba Bandar, Tq-Kalyanpur, Dev-bhumi Dwarka, Gujarat State

विषय:- गुजरात राज्य के देवभूमि द्वारका जिले, कल्यांपुर-तालुका, के गुरगढ़ गाँव में स्थित आपकी चुना पत्थर सर्वे नंबर -404/P, क्षेत्रफल 24.2813Ha में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली,2017 के नियमों का उल्लंघन होने बाबत। महोदय.

उपरोक्त खदान का निरीक्षण अधोहस्ताक्षर द्वारा दिनांक 12/1/2018 को खान मालिक के प्रतिनिधि श्री गोविंद भाई की उपस्थिति में किया गया तथा खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली2017 , के निम्नलिखित उपबन्धों का उल्लंघन पाया गया ।

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यूरो
Rule	The holder of a mining lease shall submit online returns in respect of each mine to the Regional
45(5)(b)	Controller or any other authorised official of the Indian Bureau of Mines in the following
&	manner. (b) a monthly return which shall be submitted before the 10 th day of every month in
45(5)(c)	respect of the preceding month in electronic form along with a signed print copy of the same if
	it is not digitally signed, in the prescribed form. © an annual return which shall be submitted
	before the 1st day of July each year for the preceding financial year in electronic form along
	with a signed print copy of the same if it is not digitally signed, in the prescribed form.
	In your case, you have not submitted the online returns from 2011-12 onwards to till date to this
	office. Therefore, you are directed to submit aforesaid return in online system immediately
	through www.ibm.gov.in/index.php/auth/login.
Rule 33	The owner, agent, mining engineer or manager of mine shall submit the digital copy along
	with a print copy of the Surface Geological plan & section on or before the 30th June of
	every year. In your case, you have not submitted the aforesaid updated plan & section
	maintained under rule 32 of MCDR, 2017 to this office till date.
Rule	A full time Mining Engineer and Geologist have not been employed for the purpose of carrying
55(1) (3)	out mining operations in accordance with these rules.
	out mining operations in accordance with these rules.

- 02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है तथा इस नियम के उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11 (2) के अंतर्गत खदान की सारी संक्रियांए बंद की जा सकती है और / या आपके विरूद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
- 03. अत: आपको यह निर्देशित किया जाता है कि आप इस पत्र के जारी होने की तिथि से <u>45 दिन</u> के भीतर उपरोक्त नियम के उल्लंघन की अनुपालना इस कार्यालय मेंदर्ज करावें।

भवदीय

(जी. राम) वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, गांधीनगर

पहले 1 प्रति पर नहीं है।

- 01. खान नियंत्रक(उ.आ.),भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर को सूचनार्थ प्रेषीत।
 02. आयुक्त, भूविज्ञान एंव खनन ,निदेशालय , गुजरात को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
 03. उप महानिदेशक (सांखिकी), खान एंव खनिज' प्रभाग,भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर,यह पत्र क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, गांधीनगर के अनुमोदन के बाद ही जारी किया जा रहा है।

(जी. राम) वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, गांधीनगर